



Latest
Laws.com
Helping Good People Do Good Things

Bare Acts & Rules

Free Downloadable Formats

Hello Good People !



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 802) पटना, वृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2011

सं० एल0जी0-1-28/2011/लेज-248—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 22, 2011]**बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011**

प्रस्तावना । - लोकायुक्त संस्था, उनकी शक्तियों एवं कृत्यों एवं सभी श्रेणी के लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की त्वरित जांच एवं अभियोजन हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-I**प्रारंभिक**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ । - (1) यह अधिनियम बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे जो राज्यपाल की सहमति की तिथि से तीस दिनों से अनधिक होगी ।

2. परिभाषाएँ । - (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) किसी लोक सेवक के संबंध में "आरोप" से अभिप्रेत है यह अभिप्रेत है कि ऐसे लोक सेवक ने -

(i) अपनी स्थिति का दुरुपयोग स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक् हानि पहुँचाने या कठिनाई में डालने अथवा राज्य को हानि पहुँचाने के लिए किया हो;

(ii) एक लोक सेवक के रूप में, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में वैयक्तिक हित अथवा अनुचित, भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था; अथवा

(iii) लोक सेवक अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा की कमी का दोषी हो;

(iv) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय कुछ भी किया हो ।

(ख) "न्यायपीठ" से अभिप्रेत है लोकायुक्त की न्यायपीठ;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है लोकायुक्त का अध्यक्ष;

(घ) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है-

(i) "मुख्य मंत्री" के संबंध में राज्यपाल;

(ii) "मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य" के संबंध में मुख्य मंत्री;

(iii) "किसी मंत्री या सभापति से भिन्न राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य" के संबंध में राज्य विधान परिषद् का सभापति और "किसी मंत्री या अध्यक्ष से भिन्न राज्य विधान सभा के किसी सदस्य" के संबंध में राज्य विधान सभा का अध्यक्ष;

और,

"विधानपरिषद् के सभापति एवं विधान सभा के अध्यक्ष" के संबंध में राज्यपाल;

(iv) सरकार के विभाग में किसी अधिकारी से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकारी;

(v) **अध्यक्ष या निदेशक** । -किसी निकाय या पर्षद या निगम अथवा स्थानीय स्वशासन सहित प्राधिकार, अथवा पंचायती राज संस्थाओं सहित स्थानीय प्राधिकार राज्य अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित शहरी स्थानीय निकाय या कंपनी या स्वशासी निकास (चाहे जिस नाम से वह जाना जाय) अथवा सोसाइटी या व्यक्तियों का संगठन या न्यास अथवा गैर सरकारी संगठन (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं) जो पूर्णतः या अंशतः सरकार द्वारा वित्त पोषित अथवा विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 के अधीन किसी रकम की अथवा जनता से चंदा की प्राप्ति में हो, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या दिये जाने वाले अनुदान अथवा विहित राशि से अधिक भुगतान की प्राप्ति में है अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित अथवा इसके द्वारा नियंत्रित से अभिप्रेत है ऐसी निकाय या पर्षद या निगम या प्राधिकार या कंपनी या सोसाइटी अथवा स्वशासी निकाय के प्रभारी मंत्री;

(vi) राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित और पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त या नियंत्रित किसी निकाय या पर्षद या निगम या प्राधिकार या कंपनी या सोसाइटी या स्थानीय स्व शासन, स्थानीय प्राधिकार, पंचायती राज संस्थाएँ एवं शहरी स्थानीय निकाय सहित अथवा कंपनी अथवा सोसाइटी अथवा स्वशासी निकाय (चाहे जिस किसी नाम से पुकारा जाय) के किसी पदाधिकारी से अभिप्रेत है, ऐसी निकाय या पर्षद या निगम या प्राधिकार या कंपनी या सोसाइटी या स्वशासी निकाय का प्रधान;

(vii) सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त प्रदत्त या विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 के अधीन कोई राशि प्राप्त या जनता से चंदा प्राप्त प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों

का संघ या न्यास(तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निबंधित हो या नहीं) का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी के संबंध में, सोसाइटी का प्रधान या व्यक्तियों के संघ का प्रधान या न्यास का प्रधान;

(ड) "पूर्ण न्यायपीठ" से अभिप्रेत है अध्यक्ष एवं लोकायुक्त के सभी विद्यमान सदस्यों को मिलाकर लोकायुक्त की न्यायपीठ;

(च) "परिवाद" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा यह दावा कि उसे कुप्रशासन के चलते अन्याय या असम्यक् कष्ट हुआ है;

(छ) "जाँच" से अभिप्रेत है लोकायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन संचालित प्रत्येक जाँच;

(ज) "न्यायिक सदस्य" से अभिप्रेत है इस रूप में नियुक्त लोकायुक्त का कोई न्यायिक सदस्य;

(झ) "लोकायुक्त" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-3 के अधीन स्थापित संस्था;

(ञ) "सदस्य" से अभिप्रेत है लोकायुक्त का कोई सदस्य;

(ट) "मंत्री" से अभिप्रेत है राज्य के लिए मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (चाहे जिस किसी नाम से पुकारा जाय) और इसमें कोई राज्य मंत्री, कोई उप मंत्री एवं संसदीय सचिव शामिल हैं;

(ठ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और पद "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है लोक सेवा में या राज्य के कार्यकलाप से सम्बद्ध पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ढ) "लोक प्राधिकार" से अभिप्रेत है -

(i) राज्य सरकार की कोई स्थापना या निकाय अथवा संस्था;

(ii) कोई स्थानीय प्राधिकार, पंचायती राज संस्थाएँ एवं शहरी स्थानीय निकाय सहित स्थानीय स्वशासन;

(iii) राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित और राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कोई निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकार/कंपनी/सोसाइटी/स्वशासी निकाय (चाहे वह जिस नाम से जाना जाता हो);

(ण) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(त) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है धारा-16के खंड (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति;

(थ) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम;

(द) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की कोई अनुसूची;

(ध) "विशेष न्यायालय" से अभिप्रेत है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप धारा-(1) के अधीन स्थापित कोई विशेष न्यायालय अथवा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय।

(न) "अन्तसूचक (हिवशिल ब्लोअर)" से अभिप्रेत है किसी लोक प्राधिकार का कोई व्यक्ति जो उस लोक प्राधिकार में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई जानकारी रखता हो।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त एवं अपरिभाषित शब्दों या पदों के वही अर्थ होंगे जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किये गये हों।

अध्याय-II

लोकायुक्त की स्थापना

3. लोकायुक्त की स्थापना। - (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही, इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायतों के संबंध में जाँच करने के प्रयोजन के लिए, "लोकायुक्त" नामक एक संस्था की स्थापना की जाएगी।

(2) लोकायुक्त संस्था निम्नलिखित को मिलाकर होगी-

(क) एक अध्यक्ष; और

(ख) दो सदस्य,

परंतु अध्यक्ष एवं दो सदस्यों में से कम-से-कम दो व्यक्ति न्यायिक सदस्य होंगे;

परंतु और कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त लोकायुक्त अपने कार्यकाल के पूरा होने तक प्रथम अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।

(3) कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा -

(क) अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होगा यदि वह निर्दोष, सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास पच्चीस वर्षों से अन्यून अवधि का लोक कार्य, प्रशासनिक विधि एवं नीति, शैक्षणिक, विधि, वित्त अथवा प्रबंधन से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान एवं व्यावसायिक अनुभव हो और पचास वर्षों से अन्यून आयु का हो;

(ख) किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होगा यदि वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश हो या रहा हो या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्हित हो और 50 वर्षों से अन्धन आयु का हो ।

(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ क्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य न हो/ना पूर्व में रहा हो और न्यास या लाभ का कोई पद (अध्यक्ष या कोई सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(5) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष इस अधिनियम के प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्रपत्र में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे ।

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और चयन समिति 1-(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, निम्नलिखित को मिलाकर बनी एक चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात्, की जाएगी,—

(क)	सभापति, बिहार विधान परिषद्	—	संयोजक
(ख)	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	—	सदस्य
(ग)	पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ पदासीन दो न्यायाधीश	—	सदस्य
(घ)	आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त	—	सदस्य

परन्तु लोकायुक्त के सदस्यों के चयन पर विचार करते समय, विद्यमान अध्यक्ष भी चयन समिति के सदस्य होंगे ।

(2) समिति में मात्र किसी रिक्ति के कारण किसी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति अविधिमान्य नहीं होगी ।

(3) चयन समिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनार्थ और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोजबीन समिति का गठन करेगी ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन समिति का कार्यकाल एवं खोजबीन समिति के सदस्य को भुगतनेय फीस तथा अन्य भत्ते वही होंगे जो नियमावली के अधीन विहित किए जाएं ।

(5) चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के लिए अपनी स्वयं प्रक्रिया विनियमित करेगी जो पारदर्शी होगी ।

(6) खोजबीन समिति निर्विवाद सत्यनिष्ठा एवं सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि वाले पाँच व्यक्तियों को मिलाकर होगी तथा उनका चयन ऐसे निम्न व्यक्तियों में से होगा जिन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात् राजनीति दल की सदस्यता नहीं ली है एवं किसी सरकार के अंतर्गत लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हैं, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग के सेवानिवृत्त मुख्य सूचना आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कैबिनेट सचिव/मुख्य सचिव/भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव और सेवानिवृत्त मुख्य लेखा नियंत्रक, भारत सरकार:

परन्तु खोजबीन समिति में कम से कम दो सदस्य सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होने चाहिए ।

(7) खोजबीन समिति व्यक्तियों के पैनल की तैयारी हेतु अनुशंसा के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायगी:—

(क) खोजबीन समिति बेबसाइट तथा कम से कम दो व्यापक रूप से परिचालित अखबारों के माध्यम से व्यक्तियों अथवा संगठनों से नामनिर्देशन आमंत्रित करेगी ।

(ख) खोजबीन समिति उपलब्धियों के बारे में जानकारी व्यक्ति या संगठनों द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी तथा पृष्ठभूमि का पूर्ण ब्यौरा संग्रह करने का प्रयास करेगी ।

(ग) खोजबीन समिति जनता से, बेबसाइट पर रखकर या किसी अन्य स्रोत से जिसे खोजबीन समिति द्वारा ठीक एवं उचित समझा जाए, प्राप्त नाम निर्देशनों के संबंध में सुझाव एवं जानकारी आमंत्रित करेगी ।

(घ) प्राप्त नाम निर्देशनों के संबंध में वैसी जानकारी और सुझावों पर विचारण के पश्चात् खोजबीन समिति व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी जो लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्य या दोनों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या के तीन गुणी होगी;

परन्तु यदि खोजबीन समिति के दो सदस्यों को किसी नाम निर्देशन के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह खोजबीन समिति के तैयार पैनल में शामिल नहीं किया जायगा;

परन्तु और कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नामों पर, जिसका/जिनका नाम उपधारा (7) (क) के अधीन यथा उपबंधित नाम निर्देशन हेतु आमंत्रण के अनुपालन में प्राप्त नहीं हुआ हो, खोजबीन समिति द्वारा विचारण नहीं किया जाएगा ।

(ड) अध्यक्ष और/या सदस्य या दोनों के पदों के लिए नामों के पैनल की अनुशंसा करने के पूर्व, खोजबीन समिति नाम निर्देशिनी की उस पद पर नियुक्ति के लिए सहमति प्राप्त करेगी जिसके विरुद्ध उसका नाम विचाराधीन हो;

(च) खोजबीन समिति उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण करेगी और उप धारा (7) (क) के अधीन प्रक्रिया आरंभ होने के तीन माह के भीतर सूची भेज देगी ।

(8) खोजबीन समिति, से अनुशंसा प्राप्ति के एक माह के भीतर, अनुशंसाओं को अंतिम रूप देगी ।

5. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि । — अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, राज्यपाल द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, अधिपत्र द्वारा नियुक्त किये जाएंगे और उस तारीख से, जब वे अपना पद ग्रहण करेंगे, पाँच वर्षों से अनधिक अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे;

परन्तु —

(क) वे राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद—त्याग कर सकेंगे ।

(ख) उन्हें धारा-7 में उपबंधित रीति से उनके पद से हटाया जा सकेगा ।

6. अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें । — अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हैं तथा अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की हैं;

परन्तु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश के रूप में या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, —

(क) उस पेंशन की राशि को, और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व उसने ऐसे पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त हुआ हो तो पेंशन के उस भाग की रकम को, घटा दिया जाएगा;

परन्तु और कि अध्यक्ष या सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

7. लोकायुक्त के अध्यक्ष और अन्य सदस्य का हटाया जाना । — (1) अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल द्वारा दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के आधार पर उनके पद से सेवा मुक्त किया जा सकेगा और किसी अन्य आधार पर नहीं;

परन्तु ऐसी सेवा मुक्ति से पूर्व की जाने वाली अपेक्षित जाँच, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट होने वाले उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा की जायगी ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन नियुक्त व्यक्ति तीन माह के भीतर राज्यपाल को प्रतिवेदन सुपूर्द करेगा जो, यथाशक्य शीघ्र, उसे राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संबोधन के पश्चात् आदेश के सिवाय, जो, इस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा समर्थित हो, ऐसी सेवा मुक्ति के लिए उसी सत्र में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवा मुक्त नहीं किया जायगा ।

(4) राज्य विधान मंडल उपर्युक्त उपधारा (3) में उल्लिखित संबोधन के प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया एवं कार्यवाही का निष्कर्ष विनियमित कर सकेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दुर्व्यवहार की किसी अन्य परिभाषा के होने पर भी, अन्य के बीच "दुर्व्यवहार" से अभिप्रेत है यदि अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अथवा की ओर से की गयी किसी संविदा अथवा किये गये समझौते में किसी रूप में सहयुक्त अथवा हितवद्ध हो अथवा हो जाता है अथवा उसके लाभ में अथवा किसी फायदा में, एक सदस्य से अन्यथा रूप में और एक निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों की भाँति उससे उद्भूत उपलब्धि में किसी रूप में भाग लेता है अथवा अपनी हैसियत का, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति का पक्ष में लाभ प्राप्त करने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक् हानि करने या कठिनाई में डालने में दुरुपयोग करता अथवा किसी व्यक्तिगत हित द्वारा अथवा अनुचित लाभ, भ्रष्ट व्यवहार के लिए कृत्यों के निर्वहन में प्रेरित हो ।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में "अक्षमता" की किसी अन्य परिभाषा के होते हुए भी, अन्य के बीच "अक्षमता" से अभिप्रेत है यदि अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक दिवालिया घोषित या न्याय निर्णीत हो अथवा दिमाग या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो ।

8. अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर प्रतिबंध । – (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य पद पर नहीं रहने के पश्चात्, –

- (i) लोकायुक्त के अध्यक्ष या एक सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा; या
- (ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा ।
- (iii) सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त प्रदत्त या फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 1976 के अधीन कोई राशि प्राप्त या जनता से चंदा प्राप्त प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों का संघ या न्यास (तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निबंधित हो या नहीं) में नियुक्ति का अपात्र होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल कार्यावधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं है ।

9. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उसके कृत्यों का निर्वहन करना । – (1) राज्यपाल, अध्यक्ष के पद पर, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में, उस रिक्ति को भरने के लिए किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, वरिष्ठतम सदस्य को, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करें, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण करेंगे ।

10. लोकायुक्त का सचिव अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द । – (1) लोकायुक्त के सचिव की नियुक्ति लोकायुक्त की अनुशंसा से की जाएगी ।

सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य संवर्ग में स्थायी रूप से आवंटित अधिसमय वेतनमान का होगा, या राज्य वरीय न्यायिक सेवा के अधिसमय वेतनमान का होगा, और वह वैसा वेतन पाएगा जो उसे सचिव के रूप में नियुक्ति नहीं होने पर प्राप्त होता । सचिव, राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से यथानिर्णीत अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(2) अन्य राजपत्रित पदाधिकारियों, अनुसचिवीय पदाधिकारियों और स्थापना के समूह 'घ' कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार द्वारा वर्तमान आरक्षण नीति और नियुक्ति के लिए स्थापित नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति सहित तथा समान निर्बंधन एवं शर्तों के अनुसार होगी जो सरकार के समान स्तर के पदाधिकारी को उपलब्ध हो:

परन्तु अध्यक्ष, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समूह 'ग' या समूह 'घ' के किसी पद या पदों के किसी समूह, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो, में नियुक्ति की शक्तियाँ सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेंगे ।

(3) राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकायुक्त के सचिव एवं अन्य अधिकारियों, अन्वेषण खण्ड के पदाधिकारियों सहित, तथा कर्मचारीवृन्द की सेवा की शर्तें वही होगी जो लोकायुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें:

परन्तु इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए, जहाँ तक उनका संबंध पदों के सृजन, वेतन, भत्ता, छुट्टी या पेंशन एवं कार्य की शर्तों से हो, राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

अध्याय-III

अन्वेषण खण्ड

11. अन्वेषण खण्ड । – तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध के, जिसका किसी लोक सेवक द्वारा किए जाने का अभिकथन किया गया हो, अन्वेषण का संचालन करने के प्रयोजन के लिए, एक अन्वेषण खण्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्तमान आरक्षण नीति, नियुक्ति के लिए स्थापित नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति सहित तथा समान निर्बंधन एवं शर्तों के अनुसार होगी जो राज्य सरकार के समान स्तर के पदाधिकारी को उपलब्ध हो:

परन्तु लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण खण्ड गठित होने तक, राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के लिए अपने विभागों से, उतने अन्वेषण अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने की लोकायुक्त द्वारा अपेक्षा की जाए ।

12. अन्वेषण अधिकारी को पुलिस की शक्तियाँ होना । – (1) कोई भी अन्वेषण, पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अन्वेषण खण्ड के अन्वेषण अधिकारी द्वारा या समतुल्य पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(2) अन्वेषण खण्ड के अन्वेषण अधिकारियों को, ऐसे अपराधों के अन्वेषण के संबंध में, वे सभी शक्तियाँ, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे, जो ऐसे अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को होते हैं ।

13. अन्वेषण अधिकारी द्वारा लोकायुक्त के निदेश पर जाँच करना । - (1) लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई जाँच कराने के पूर्व एक आदेश द्वारा अपने जाँच खण्ड के जाँच पदाधिकारी द्वारा एक प्रारंभिक जाँच करायेगी, या इस तरह से करायेगी या करवायेगी जैसा वह निर्देशित करे तथा लोकायुक्त द्वारा निर्धारित एक समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन समर्पित करेगी, जिससे लोकायुक्त संतुष्ट हो सकें कि वह विषय लोकायुक्त के द्वारा जाँच के लायक है या नहीं ।

(2) अन्वेषण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर, उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अन्वेषण पूरा करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय-IV

अभियोजन खण्ड

14. अभियोजन निदेशक की नियुक्ति । - (1) लोकायुक्त, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा किसी परिवाद के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के प्रयोजनार्थ अभियोजन खंड का गठन और अभियोजन निदेशक की सहायता के लिए राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति तथा प्रतिनियुक्ति सहित भर्ती की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार तथा राज्य सरकार के समान पंक्ति के कर्मचारियों पर लागू समान निर्बंधन और शर्तों पर अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ।

(2) अभियोजन निदेशक, लोकायुक्त द्वारा इस प्रकार निदेश प्राप्त पर, सम्यक् जाँच के पश्चात् विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायत दाखिल करेगा, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में लोकसेवकों के अभियोजन के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठायेगा ।

अध्याय- V

लोकायुक्त की संस्था के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना

15. लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना । - लोकायुक्त के व्ययों को, जिसके अन्तर्गत लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारीवृन्द को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाएगा और लोकायुक्त द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशि उस निधि का भाग होंगी ।

अध्याय- VI

जाँच के संबंध में अधिकारिता

16. लोकायुक्त की अधिकारिता । - (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकायुक्त किसी लोकसेवक के विरुद्ध निम्नलिखित के संबंध में, किसी शिकायत में, किए गए आरोप के किसी अभिकथन में अन्तर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या संबद्ध किसी मामले के बारे में जाँच करेगा, यथा :-

- (क) कोई व्यक्ति, जो राज्य का मुख्य मंत्री हो या रहा हो,
- (ख) कोई व्यक्ति, जो राज्य का मंत्री हो या रहा हो,
- (ग) कोई व्यक्ति, जो राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य हो या रहा हो,
- (घ) धारा - 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट प्रत्येक पदाधिकारी,
- (ङ) धारा - 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट प्रत्येक पदाधिकारी, जो बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण होने पर निम्नलिखित की सेवा अथवा वेतन पर हों-
 - (i) स्थानीय प्राधिकार, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय सहित स्थानीय स्वशासन;
 - (ii) राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित तथा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई निगम (स्थानीय प्राधिकार से भिन्न);
 - (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम-1) की धारा-617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कंपनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त हिस्सा पूंजी 51 प्रतिशत से अन्यून हो, या कोई अन्य कंपनी, जो किसी कंपनी की सहायक हो, जिसकी पूंजी राज्य सरकार धारण करती हो;
 - (iv) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अधीन निबंधित कोई सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो और जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित हो;
- (च) प्रत्येक प्रधान अथवा उप प्रधान, चाहे उसका पदनाम जो भी हो, और स्थानीय प्राधिकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय स्वशासन, निगम, सरकारी कंपनी अथवा विदेशी स्रोत सहित किसी अन्य स्रोत से पाँच लाख रुपये से अधिक चंदा प्राप्त करने वाली सोसाइटी या व्यक्तियों का संगठन या न्यास अथवा गैर सरकारी संगठनों (तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं) अथवा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या

अनुदान प्राप्त अथवा सरकार से विहित राशि से अधिक भुगतान प्राप्त करने वाली कोई अन्य संस्था या संगठन या प्राधिकार के अन्य कर्मचारी;

- (छ) राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त प्रदत्त या नियंत्रित किसी निकाय/निगम/पर्षद/प्राधिकार/कंपनी/सोसाइटी/स्वशासी निकाय (चाहे जिस किसी नाम से पुकारा जाए) में कोई अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी [उपधारा(1) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट] या समकक्ष/उच्चतर,

परन्तु अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अन्वेषण या अभियोजन, लोकायुक्त की पूर्ण न्यायपीठ से अनुमति लिए बिना, प्रारंभ नहीं किया जाएगा ।

(2) लोकायुक्त, धारा-16 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कृत्य या आचरण की जाँच कर सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के आरोपों से संबद्ध हो ।

17. लोकायुक्त से पूर्व किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकार के समक्ष जाँच के लिए लंबित मामले। – यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी जाँच के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी न्यायालय या राज्य विधान मंडल के किसी सदन की समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष लंबित पड़ी हुई हो तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय/राज्य विधान मंडल के किसी सदन की समिति/किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष जारी रहेगी; ऐसे मामलों के सिवाय जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (2) के अधीन संरक्षित हैं या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हों, इस अधिनियम के अधीन ऐसे मामलों की जाँच करने की लोकायुक्त की शक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

18. लोकायुक्त की न्यायपीठों का गठन । – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए—

- (क) लोकायुक्त की अधिकारिता, शक्तियों एवं प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा;
- (ख) कोई न्यायपीठ अध्यक्ष द्वारा एक या अधिक सदस्यों के साथ, जो अध्यक्ष ठीक समझें, गठित की जा सकेगी;
- (ग) प्रत्येक न्यायपीठ साधारणतया कम-से-कम एक न्यायिक सदस्य को मिलाकर बनेगी;
- (घ) जहाँ कोई न्यायपीठ अध्यक्ष को मिलाकर बनती हो वह उस न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी;
- (ङ) जहाँ कोई न्यायपीठ न्यायिक सदस्य और गैर-न्यायिक सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर को मिलाकर बनती हो, वहाँ उस न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी;
- (च) लोकायुक्त की न्यायपीठों साधारणतया पटना में और ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होंगी जो लोकायुक्त विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) लोकायुक्त उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे जिनके संबंध में लोकायुक्त की प्रत्येक न्यायपीठ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी ।

(3) उप धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को, समय-समय पर, न्यायपीठों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी ।

(4) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई पूर्ण न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा पूर्ण न्यायपीठ को यथास्थिति अंतरित किया जा सकेगा या अंतरण के लिए उसे निर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(5) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि, किसी मामले या मामलों में किसी अंतर्ग्रस्त प्रश्न की प्रकृति को ध्यान रखते हुए अध्यक्ष की राय में या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन, दो से अधिक सदस्यों से गठित न्यायपीठ द्वारा निर्णीत होने की अपेक्षा है अध्यक्ष ऐसा सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे ।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या इस संबंध में अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य एकल सदस्य से युक्त किसी न्यायपीठ का कार्य करने के लिए सक्षम होगा और ऐसे मामलों के वर्गों और ऐसे मामलों के वर्गों के संबंध में लोकायुक्त की अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करेगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाए:

परंतु किसी ऐसे विषय या मामले की सुनवाई के किसी स्तर पर यदि अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को यह प्रतीत हो कि विषय या मामला ऐसी प्रकृति का है कि उसे दो सदस्यों वाली न्यायपीठ द्वारा सुनी जानी चाहिए तो यथास्थिति, विषय या मामले को, अध्यक्ष द्वारा उस न्यायपीठ को अन्तरित किये जाने हेतु अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे अध्यक्ष उचित समझें ।

19. न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण । – जहाँ न्यायपीठें गठित की गयी हों, वहाँ अध्यक्ष, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, न्यायपीठों के बीच लोकायुक्त के कार्यों के वितरण के बारे में उपबंध कर सकेगा और उन विषयों का भी उपबंध कर सकेगा जिनपर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी ।

20. अध्यक्ष को मामले अन्तरित करने की शक्ति । – शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अन्तरण के लिए दिये गये आवेदन पर, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अध्यक्ष किसी न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले के निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायापीठ को अन्तरित कर सकेगा।

21. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना । – यदि दो सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच किसी मुद्दे या मुद्दों पर मतभेद हो और दोनों सदस्य की इच्छा हो कि विषय को निर्दिष्ट किया जाय तो उसे निर्दिष्ट कर दिया जाएगा और पूर्ण न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।

स्पष्टीकरण :- यदि एक सदस्य का पद रिक्त है तो अध्यक्ष का अभिमत अभिभावी होगा।

22. किसी कार्रवाई या कार्यवाही की विधिमान्यता । – लोकायुक्त का कोई कृत्य या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि:-

- (क) लोकायुक्त के गठन में कोई रिक्ति है या कोई त्रुटि है,
- (ख) लोकायुक्त के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या
- (ग) मामले के गुणावगुण पर प्रभाव न डालने वाली कोई अनियमितता है।

अध्याय- VII

जाँच एवं अन्वेषण से संबंधित प्रक्रिया

23. जाँच तथा अन्वेषण से संबंधित उपबंध । – (1) लोकायुक्त, कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि मामले में अग्रतर कार्रवाई के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है या नहीं प्रारंभिक जाँच या अन्वेषण करवा सकेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जाँच या प्रारंभिक अन्वेषण साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर और लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।

(3) प्रारंभिक अन्वेषण के पूरा हो जाने पर, अन्वेषण प्राधिकार अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

24. प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का सुना जाना । – यदि लोकायुक्त कार्रवाई के किसी प्रक्रम पर,-

- (क) भावी अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण की जाँच करना आवश्यक समझते हों, या
- (ख) यह राय हो कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर जाँच द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,
-तो लोकायुक्त उस व्यक्ति को जाँच में सुने जाने का और उसके बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेंगे।

25. लोकायुक्त द्वारा किसी लोकसेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना । – (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ (ऐसे अन्वेषण के पूर्व प्रारंभिक जाँच, यदि कोई हो, सहित) लोकायुक्त किसी लोकसेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में, ऐसी जाँच या अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है, तो ऐसी सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) ऐसी किसी जाँच (प्रारंभिक जाँच सहित) के प्रयोजनार्थ, लोकायुक्त को, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 05) के अधीन व्यवहार न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी, अर्थात्-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना,
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना,
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना,
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन बहाल करना,
- (च) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जाएँ।

(3) लोकायुक्त के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम सं० 45) की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई साक्ष्य देने के लिए अथवा ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देने या पेश करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है।

26. अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया । – (1) इस धारा में किसी बात के रहते हुए भी, जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-19 के अधीन मंजूरी का संबंध है, सक्षम प्राधिकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर मंजूरी या अनुमति के लिए अनुशंसा प्राप्त होने के चालीस दिन के भीतर युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा।

परन्तु किसी लोक सेवक की दशा में, जो केन्द्र सरकार से धारा 19, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति की प्राप्ति के बिना पद से हटाने योग्य न हो, राज्य सरकार पंद्रह दिनों के भीतर अपनी अनुशंसा केन्द्रीय सरकार को भेज देगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे ।

27. ऐसे लोकसेवकों के संबंध में जाँच पर कार्रवाई जो मुख्य मंत्री या मंत्री या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं।— (1) जहाँ जाँच या अन्वेषण की समाप्ति पर लोकायुक्त के निष्कर्ष से, धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ङ), (च) या (छ) में निर्दिष्ट किसी लोकसेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रकटन होता है, वहाँ लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी —

(क) विशेष न्यायालय में मामला दाखिल कर सकेगा और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेज सकेगा तथा,

(ख) सक्षम प्राधिकारी को ऐसे लोकसेवक पर लागू अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा कर सकेगा ।

(ग) लोकसेवक या उसके प्रतिनिधि को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करा सकेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, लोकायुक्त की अनुशंसाओं का ध्यान रखते हुए, उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुशंसा प्राप्त होने की तीस दिनों की अवधि के भीतर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध किए जाने का अभियुक्त कदाचारी लोकसेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करेगा और रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित, उस पर अपनी टिप्पणी साधारणतया ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने के छः माह के भीतर लोकायुक्त को भेजेगा ।

28. ऐसे लोकसेवक के विरुद्ध जाँच पर कार्रवाई जो मुख्य मंत्री, मंत्री या राज्य विधानमंडल के सदस्य हों।— (1) जहाँ मामला इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में निर्दिष्ट लोकसेवक से संबंधित हो वहाँ धारा 16 (1) के परन्तुक में निर्धारित प्रक्रिया के पालन करने के उपरान्त प्रथम द्रष्टया मामला पाए जाने पर, लोकायुक्त जाँच या अन्वेषण के लिए निर्देश देंगे ।

(2) जहाँ जाँच या अन्वेषण की समाप्ति के बाद, लोकायुक्त के निष्कर्ष से, धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में निर्दिष्ट किसी लोकसेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रकटन होता हो, वहाँ लोकायुक्त विशेष न्यायालय में मामला दाखिल कर सकेंगे और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी तथा लोकसेवक को भी भेज सकेंगे ।

अध्याय— VIII

लोकायुक्त की शक्तियाँ

29. परिवादों से संबंधित उपबंध ।— (1) लोकायुक्त परिवाद प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेंगे ।

इस धारा के प्रयोजनार्थ “परिवाद” से अभिप्रेत है आरोप, शिकायत अथवा “अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर)” द्वारा संरक्षण हेतु अनुरोध ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक परिवाद यथासंभव विहित प्रपत्रों में किए जाएँगे और उसमें निम्नलिखित शामिल रहेंगे :—

(क) प्रत्येक परिवाद में शीर्षक रहेगा “ बिहार के लोकायुक्त के समक्ष”

(ख) पूर्ण पता सहित परिवादकर्ता का नाम ।

(ग) जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा रहा हो उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम एवं पूर्ण पता ।

(3) लोकायुक्त के समक्ष किया गया सभी परिवाद परिवादकर्ता के द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होंगे, या यदि वह निरक्षर हो तो, उसके बाएँ अंगूठे का निशान किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित होगा और उसमें अभिप्रमाणित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता स्पष्ट होगा ।

(4) प्रत्येक परिवाद यथा विहित शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा ।

(5) लोकायुक्त किसी परिवाद की जाँच नहीं करेंगे—

(क) जहाँ की गई शिकायत की जानकारी परिवादी को ऐसी शिकायत लिए जाने के बारह माह पूर्व आ गई हो,

(ख) यदि परिवाद में अन्तर्ग्रस्त कृत्य के कथित रूप से होने के पाँच वर्षों के बीत जाने के बाद से संबंधित आरोप हो:

परन्तु लोकायुक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई शिकायत ग्रहण कर सकेंगे । यदि परिवादकर्ता उनका समाधान करा दे कि उसे उक्त खण्ड में विहित समय के भीतर परिवाद नहीं कर सकने का पर्याप्त कारण है ।

(6) किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा या जेल या पागलखाने या उन्मत्त व्यक्तियों के किसी अन्य शरण स्थान से किसी व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त को लिखा गया कोई पत्र उस पुलिस पदाधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा बिना खोले और बिना विलंब के प्रेषित को अग्रसारित किया जाएगा जो ऐसे जेलों, पागलखाने या अन्य शरण स्थान का भारसाधक हो और लोकायुक्त उस पत्र को

उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार किया गया परिवाद समझेंगे यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है ।

30. अन्वेषण । - (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध के अन्वेषण के लिए प्राधिकृत लोकायुक्त के अन्वेषण अधिकारियों को ऐसी सभी शक्तियाँ होंगी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध के अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी में निहित हो ।

(2) किसी अन्वेषण अधिकारी से वरीय पंक्ति के लोकायुक्त के सभी अन्वेषण पदाधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा किया जा सके ।

31. तलाशी और अभिग्रहण । - (1) जहाँ लोकायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन सम्मन या नोटिस दी गई हो या दी जाएगी, वह कोई संपत्ति, दस्तावेज या चीज, जो उनके द्वारा किसी जाँच या अन्य कार्यवाही के लिए आवश्यक या उपयोगी या प्रासंगिक होगी, प्रस्तुत नहीं करेगा या नहीं कराएगा, वहाँ तलाशी वारंट निर्गत करेंगे और पुलिस निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को, और विशेष रूप से किसी भवन या स्थान में प्रवेश करने एवं तलाशी लेने, या निरीक्षण करने हेतु, जहाँ उसे यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसी संपत्ति या दस्तावेज रखी गई है, प्राधिकृत करेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्गत कोई वारंट, सभी प्रयोजनों के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-93 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट समझा जाएगा ।

(3) यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत कोई दस्तावेज, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या जाँच के प्रयोजन के लिए, साक्ष्य होगी और ऐसे दस्तावेज को, उसकी अभिरक्षा में या ऐसे तलाशी अधिकारियों की अभिरक्षा में, जो प्राधिकृत किए जाएँ, प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह उसे लौटा सकेंगे या ऐसे प्राधिकृत पदाधिकारी को, ऐसे दस्तावेज को ऐसे अन्वेषण या जाँच के पूरा होने तक प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेंगे:

परन्तु जहाँ किसी दस्तावेज को वापस करना अपेक्षित हो वहाँ लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेज की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात्, उसे वापस कर सकेंगे ।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशियों से संबंधित उपबंध, जहाँ तक संभव हो इस धारा के अधीन तलाशियों के संबंध में लागू होंगे ।

32. अन्वेषण का शासन । - बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के अधीन सभी अन्वेषण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अध्याय iv द्वारा शासित होंगे ।

स्पष्टीकरण :- इस अधिनियम के प्रावधानों के रहते हुए भी, अन्वेषण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय-xii के प्रावधान, जो इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, भी लागू होंगे ।

33. आस्तियों की अनंतिम कुर्की । - (1) जहाँ लोकायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्वेषण अधिकारी को अपने कब्जे में ली गयी सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो, ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा :-

- (क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार का कोई आगम है,
- (ख) ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अपराध कारित करने का अभियुक्त है, और
- (ग) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से बरतने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाही विफल हो सकती है,

वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसी संपत्ति को ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए उपबंधित रीति से कुर्क कर सकेगा ।

(2) लोकायुक्त उपधारा (1) के अधीन कुर्की के तुरंत पश्चात् आदेश की प्रति, उसके कब्जे में उस उपधारा में निर्दिष्ट सामग्री सहित विशेष न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में, उस रीति से, जो विहित की जाय, अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश का विस्तार कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रख सकेगा, जो न्यायालय उचित समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गयी कुर्की का प्रत्येक आदेश उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर या उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा निर्देशित अवधि के अवसान पर निष्प्रभावी हो जाएगा ।

34. आस्तियों की कुर्की की पुष्टि । - (1) लोकायुक्त, जब धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर, अपने अभियोजन खंड को विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करने तथा विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि की प्रार्थना करने संबंधी आवेदन दाखिल करने का निदेश देगा ।

(2) विशेष न्यायालय, यदि उसकी यह राय हो कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का अर्जन भ्रष्ट साधनों से किया गया है, ऐसी संपत्ति की कुर्की की तब तक पुष्टि करने का आदेश कर सकेगा जब तक कि विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियाँ पूरी न हो जाएँ ।

(3) यदि लोक सेवक को तत्पश्चात् उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विशेष न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपत्ति को ऐसे फायदों सहित जो कुर्की की अवधि के दौरान प्रोद्भूत हुए हों, संबंधित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।

35. भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित लोकसेवक के स्थानान्तरण या निलंबन की अनुशंसा करने की लोकायुक्त की शक्ति । - (1) जहाँ लोकायुक्त का, भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते समय उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम द्रष्टया यह समाधान हो जाय कि धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (घ), (ङ), (च) और (छ) में निर्दिष्ट लोकसेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जाँच प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है वहाँ लोकायुक्त ऐसे लोकसेवक को उसके द्वारा धारित पद से उस अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, स्थानान्तरित करने या उसे निलंबित करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार सामान्यतया लोकायुक्त की अनुशंसा को स्वीकार करेगी ।

36. जाँच के दौरान अभिलेखों को नष्ट किए जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकायुक्त की शक्ति । - लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों के निर्वहन में, -

- (क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान से उसकी संरक्षा करने, या
- (ख) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से लोक सेवक को रोकने, या
- (ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उनका अन्यसंक्रामण करने से रोकने के लिए किसी ऐसे लोक सेवक को समुचित निदेश जारी कर सकेगा जिसे दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसे अभिरक्षा में रखने का कार्य सौंपा गया हो ।

37. प्रत्यायोजित करने की शक्ति । - लोकायुक्त, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन रहते हुए, यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा ।

38. अन्य शक्ति एवं कर्तव्य । - लोकायुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य एवं शक्तियाँ भी होंगी :-

- (1)(क) यदि लोकायुक्त का, अन्वेषण के प्रारंभिक जाँच के आधार पर प्रथम द्रष्टया यह समाधान हो जाय कि कोई लीज, लाइसेंस अनुज्ञप्ति, संविदा या समझौता, अपकरण (Misfeasance), दुर्व्यपदेशन, कपट या दबाव सहित भ्रष्ट स्रोत से प्राप्त किया गया था तो वह लीज, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, संविदा या समझौता के रद्दकरण या उपांतरण की अनुशंसा करेगा और भ्रष्टाचार की कार्रवाई में लिप्त फर्म, कंपनी, ठीकेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को काली सूची में डालने के लिए भी अनुशंसा कर सकेगा । उपर्युक्त अनुशंसाएँ या तो लोक प्राधिकार या उसके द्वारा मान्य की जाएँगी अथवा अनुशंसा प्राप्ति के एक माह के भीतर नामंजूर कर दी जाएगी ।
- (ख) यदि लोकायुक्त का किसी अनुसंधान के दौरान यह समाधान हो जाय कि भ्रष्टाचार की जारी घटनाओं को रोकने हेतु लोकहित में कोई निवारक कार्रवाई आवश्यक है तो वह संबंधित लोक प्राधिकार से या तो किसी विनिश्चय का क्रियान्वयन/प्रवर्तन स्थगित करने या किसी ऐसी कार्रवाई, जिसे लोकायुक्त द्वारा अनुशंसा की जाय को रोक देने की अनुशंसा कर सकेगा । उपर्युक्त अनुशंसाएँ लोक प्राधिकार द्वारा मान्य की जाएँगी अथवा अनुशंसा प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर नामंजूर कर दी जाएँगी ।
- (ग) लोकायुक्त की ओर से प्रारम्भ किये गये मामलों के लिये, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किये गये अपराधों के अन्वेषण का अनुश्रवण करना, जिसमें भ्रष्टाचार के कृत्य शामिल हैं ।
- (घ) लोकायुक्त की ओर से प्रारम्भ किये गये मामलों के लिये, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन स्थापित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन प्रारम्भ करना ।
- (ङ) लोकायुक्त की ओर से प्रारम्भ किये गये मामलों के लिये, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन अभियोजकों और वरीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति करना ।
- (च) अन्वेषण अधिकारी को वैज्ञानिक अन्वेषण की आधुनिक पद्धतियों में प्रशिक्षित करना ।
- (छ) समुचित अन्वेषण के लिये आवश्यक आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी लेना ।
- (ज) लोकायुक्त के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतों को प्राप्त करना ।
- (झ) अपने ओहदेदारों/पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना और बर्खास्तगी, सेवामुक्ति एवं पदावनति का दण्ड अधिरोपित करना ।

अध्याय- IX
विशेष न्यायालय

39. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले विशेष न्यायालय ।—(1) लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से उद्भूत या बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन मामलों के लिये अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना की अनुशंसा कर सकेगा और राज्य सरकार अधिक न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के दाखिल किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विचारण को पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा ।

परंतु यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सके तो विशेष न्यायालय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो तीन मास से अधिक न होगी, ऐसी प्रत्येक तीन माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, किंतु दो वर्ष की कुल अवधि से अनधिक के भीतर, विचारण को, पूरा करेगा ।

40. कतिपय मामलों में अन्य राज्यों को अनुरोध पत्र । — (1) इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी जाँच या अन्वेषण के अनुक्रम में, लोकायुक्त के अन्वेषण अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में जाँच या अन्वेषण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय हो कि ऐसा साक्ष्य अन्य राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में जाँच या अन्वेषण के संबंध में अपेक्षित है, वह कार्यवाही करने के लिए सक्षम अन्य राज्य में किसी न्यायालय को या प्राधिकारी को ऐसे अनुरोध के साथ अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा कि वह :-

- (i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करे;
- (ii) ऐसा उपाय करे जो विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे अनुरोध पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए, और
- (iii) ग्रहण किये गये या संग्रहीत किये गये सभी साक्ष्य को, अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रसारित किया जाय ।

(2) अनुरोध पत्र ऐसी रीति से प्रेषित किया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाय ।

(3) उपधारा(1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज जाँच या अन्वेषण के दौरान संग्रहीत साक्ष्य समझी जायगी ।

अध्याय- X

लोकायुक्त और पदाधिकारियों के विरुद्ध परिवाद

41. अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध परिवाद का लोकायुक्त द्वारा जाँच नहीं किया जाना ।—(1) लोकायुक्त, अध्यक्ष अथवा सदस्य के विरुद्ध किये गये किसी परिवाद की जाँच नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई परिवाद, व्यथित पक्ष द्वारा राज्यपाल के समक्ष एक आवेदन देकर किया जाएगा ।

(3)(क) राज्यपाल का यदि यह समाधान हो जाय कि परिवाद में कोई प्रथम द्रष्टया मामला बनता है तो तीन माह के भीतर अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान के अधीन जाँच के लिए शिकायत को निर्देशित कर देंगे ।

(ख) फिर भी, राज्यपाल का यदि समाधान न हो कि शिकायत में कोई प्रथम द्रष्टया मामला बनता है तो उपधारा (3) के खंड (क) में विहित कालावधि के भीतर समुचित आदेश पारित करेंगे ।

42. लोकायुक्त के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें । — (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए लोकायुक्त के अधीन या उससे सहबद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी या अन्वेषण अभिकरण के विरुद्ध उनके द्वारा किये गये दोषपूर्ण कार्य के आरोप के संबंध में की गई प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जायगी ।

(2) लोकायुक्त, की गई शिकायत या अभिकथन की जाँच, उसके प्राप्त किये जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर पूरा करेगा ।

(3) लोकायुक्त या लोकायुक्त में अभिनियोजित या उससे सहबद्ध किसी अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जाँच करते हुए यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर लोकायुक्त का प्रथमद्रष्टया यह समाधान हो जाता है, कि—

(क) जाँच करते समय लोकायुक्त के अधिकारी या सेवक या उसमें अभिनियोजित या उससे सहबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जाँच प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है; या

(ख) लोकायुक्त के अधिकारी या सेवक या उसमें अभिनियोजित या सहबद्ध अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी साक्ष्य को नष्ट कर सकता है या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़

कर सकता है या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है, तो लोकायुक्त, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकायुक्त में अभिनियोजित या उससे सहबद्ध ऐसे अभिकरण को उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से वंचित कर सकेगा ।

(4) ऐसी जाँच के पूरा हो जाने पर, यदि लोकायुक्त को यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध या किसी गलत कार्य के किये जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है तो वह ऐसी जाँच के पूरा होने के चालीस दिन की अवधि के भीतर लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकायुक्त में अभिनियोजित या उससे सहबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को अभिनियोजित करने का आदेश देगा और संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का आदेश दे सकेगा:

परंतु ऐसा कोई आदेश, लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें अभिनियोजित या उससे सहबद्ध अभिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, पारित नहीं किया जायगा ।

अध्याय- XI

वित्त, लेखा और अंकेक्षण

43. बजट ।- लोकायुक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाय, अगले वित्तीय वर्ष के लिये, लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को सूचनार्थ अग्रसारित करेगा ।

44. राज्य सरकार द्वारा अनुदान ।- राज्य सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा विधानमंडल द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् लोकायुक्त को ऐसी धन राशि अनुदत्त कर सकेगी, जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों के लिये और लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन सहित प्रशासनिक खर्चों के लिये संदत्त किया जाना अपेक्षित हो ।

45. वार्षिक लेखा विवरण ।- (1) लोकायुक्त, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाये रखेगा और महालेखाकार, बिहार के परामर्श से, ऐसे प्रपत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) लोकायुक्त के लेखाओं का महालेखाकार, बिहार द्वारा ऐसे अंतरालों पर लेखा परीक्षा किया जायेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायँ ।

(3) महालेखाकार, बिहार को या इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे लेखा परीक्षण के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं के लेखा परीक्षा के संबंध में साधारणतया महालेखाकार, बिहार को प्राप्त होते हैं और विशेष रूप में बहियों, लेखाओं, संबंधित अभिश्रवों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजात को प्रस्तुत करने की माँग करने और लोकायुक्त के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(4) महालेखाकार, बिहार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकायुक्त के लेखाओं को, उनपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य सरकार को वार्षिक रूप में अग्रसारित किया जायगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी ।

(5) बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् की कोई उपयुक्त संयुक्त समिति, लोकायुक्त के कार्यकलाप के वार्षिक मूल्यांकन का विनिश्चय कर सकेगी । लोकायुक्त, जहाँ वह इस समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करता है, वहाँ इसका विस्तृत कारण बताते हुए, राज्यपाल को एक अनुपालन रिपोर्ट समर्पित करेगा । इस रिपोर्ट को बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् के पटलों पर रखा जाएगा ।

अध्याय- XII

अपराध और शास्तियाँ

46. अपराध एवं शास्तियाँ । - इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता, 1860 के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009, जहाँ तक अपराध एवं शास्तियों का संबंध है, लागू होंगे ।

अध्याय- XIII

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण एवं उसकी वसूली

47. विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली । - विशेष न्यायालय द्वारा, यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोषी हो तो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वह हानि का, यदि कोई, सद्भावना से न की गई ऐसे लोक सेवक की कार्रवाई या न लिए गए विनिश्चय के चलते लोक राजकोष को हुए नुकसान का, जिसके लिए वह सिद्धदोषी है, निर्धारण कर सकेगा और उस सिद्धदोषी लोक सेवक से, ऐसी हानि, जो संभव या परिमाण योग्य हो, की वसूली के लिए आदेश कर सकेगा;

परंतु यदि विशेष न्यायालय, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कारित हानि उस सिद्धदोषी लोक सेवक की कार्रवाई या विनिश्चय के लाभुक या लाभुकों के षड्यंत्र के तहत की गयी थी, तब ऐसी हानि, यदि इस धारा के अधीन निर्धारित और परिमाण योग्य हो, आनुपातिक रूप से ऐसे लाभुक या लाभुकों से भी वसूल की जा सकेगी।

अध्याय- XIV

अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर)

48. अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर) । - (1) कोई लोक पदधारी या आम जनता का कोई व्यक्ति, जिसे ज्ञात/जानकारी हो कि कोई लोक पदाधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त है तो उक्त ज्ञात/जानकारी को लोकायुक्त को भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा और यह लोकायुक्त पर निर्भर करेगा कि यदि उसका समाधान हो जाए तो उस सूचना या जानकारी की स्वयं या अपनी एजेंसी से जाँच का आदेश दें अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश पारित करें।

(2) अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर) की पहचान गोपनीय रखना, जहाँ अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर) वैसी इच्छा रखता है और/ अथवा किसी शारीरिक हानि या किसी प्रशासनिक परेशानी से अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर) को पूर्ण संरक्षण देना लोकायुक्त का दायित्व होगा।

(3) अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर) को संरक्षण किसी भी रूप में दिया जाना हो वहाँ लोकायुक्त किसी सुरक्षा एजेंसी/एजेंसियों अथवा किसी अन्य प्राधिकार अथवा प्राधिकारियों को जिन्हें लोकायुक्त ठीक और उचित समझें, समुचित निदेश देने हेतु सक्षम होंगे। लोकायुक्त के उपर्युक्त निदेश उन एजेंसी/एजेंसियों या प्राधिकार/प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।

(4) (क) किसी भी मामले में लोकायुक्त, इस धारा के अधीन तीव्रता से शिकायत प्राप्ति के एक माह के भीतर आदेश पारित करेगा।

(ख) लोकायुक्त को यह समाधान होने पर कि अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर) को शारीरिक परिपातन की धमकी है अथवा इसका पूर्वानुमान है तो लोकायुक्त तत्काल समुचित कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा जैसा कि उचित एवं आवश्यक समझते हों।

(5) शारीरिक अथवा व्यवसायिक भयादोहन के शिकार अन्तर्सूचक (हिवशिल ब्लोअर) द्वारा शिकायत का अनुसंधान का निपटारा तीव्रता से प्राथमिकता के रूप में उसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर किया जायेगा।

अध्याय- XV

प्रकीर्ण

49. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण । - लोकायुक्त अथवा उनके किसी पदाधिकारी, कर्मी, एजेंसी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिए जो सद्भावनापूर्वक अथवा इस अधिनियम के अधीन किये जाने के आशय से की गयी है कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं होंगी।

50. लोकायुक्त के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना । - लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्रवाई कर रहे हों या कार्रवाई करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माना जायगा।

51. अधिकारिता का वर्जन । - किसी सिविल न्यायालय की ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए लोकायुक्त इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त है।

52. अधिनियम का अभिभावी प्रभाव होना । - इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

53. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना । - इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

54. राज्य सरकार को विवरण आदि दिया जाना । - (1) लोकायुक्त प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में एवं ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाय, विगत वर्ष की अपनी गतिविधियों का सारांश देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट की प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(2) उपधारा(1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, इसकी प्राप्ति के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी ।

55. नियम बनाने की शक्ति । – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) खोजबीन समिति के सदस्यों को देय फीस एवं भत्ते;
- (ख) इस अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1)(ग) के अधीन अनंतिम कुर्की की रीति;
- (ग) इस अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) एवं धारा 34 के अधीन विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की आदेश भेजने की रीति;
- (घ) धारा 40 की उपधारा(2) के अधीन अनुरोध पत्र प्रेषित करने की रीति;
- (ङ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने का प्ररूप और समय जिसमें धारा-43 के अधीन लोकायुक्त की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय दिखाए जाएँगे;
- (च) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिए प्ररूप और वार्षिक लेखा विवरणों का प्ररूप;
- (छ) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन विवरण एवं विशिष्टियों सहित प्रतिवेदन तैयार करने का प्ररूप एवं रीति तथा समय ;
- (ज) धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों के संक्षिप्त ब्यौरे दिए जाएँगे, तैयार करने का प्ररूप एवं समय;
- (झ) ऐसा कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाय ।

56. लोकायुक्त की विनियम बनाने की शक्ति । – (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, लोकायुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवाशर्तें और ऐसे विषय, जिनके लिए, जहाँ तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशन से है, धारा-10 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है;
- (ख) धारा-18 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन लोकायुक्त की न्यायपीठों के बैठने का स्थान;
- (ग) कोई जाँच या अन्वेषण करने की रीति और प्रक्रिया;
- (घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए ।

57. नियमों और विनियमों का रखा जाना । – इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

58. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति । – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से छः माह की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

59. निरसन एवं व्यावृत्ति । – (1) बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 और उसमें समय समय पर किया गया संशोधन एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या कार्रवाई की गई थी ।

प्रथम अनुसूची
(देखें धारा 3 की उपधारा (5))

मैं, जो लोकायुक्त का अध्यक्ष/सदस्य* नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और मैं सम्यक् प्रकार से, श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी-पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक के साथ अपने कर्तव्यों का पालन भय या पक्षपात, राग या द्वेष से रहित होकर करूंगा ।

(* यथास्थिति)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

22 दिसम्बर 2011

सं० एल०जी०-1-28/2011/249/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमत बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 22, 2011]

The Bihar Lokayukta Act, 2011

AN

ACT

Preamble. - To provide for establishment of Lokayukta institution, its powers and functions and for expeditious investigation and prosecution relating to allegation involving corruption against public servants of all grades.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*— (1) This Act may be called the Bihar Lokayukta Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, which shall not exceed thirty days from the date the Governor has given assent.

2. *Definitions.*—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,— (a) "Allegation" in relation to a public servant means affirmation that such public servant-

- (i) has abused his position as such to obtain any undue gain or favour to himself or to any other person to cause undue harm or hardship to any other person or loss to the State Government.
- (ii) was actuated in the discharge of the functions as such public servant by personal interest or improper, corrupt motives, or
- (iii) is guilty of corruption or lack of integrity in his capacity as such public servant.
- (iv) has done anything punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988.

(b) "Bench" means a Bench of the Lokayukta;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Lokayukta;

(d) "Competent Authority", in relation to—

(i) "Chief Minister" means the Governor;

(ii) "a Member of the Council of Ministers" means the Chief Minister;

(iii) "a Member of the State Legislative Council other than a Minister or the Chairman" means the Chairman of the State Legislative Council & "a member of the State Legislative Assembly other than a Minister or the Speaker" means the Speaker of the Bihar Legislative Assembly;

And

"Chairman of the Legislative Council and the Speaker of the Legislative Assembly" means the Governor;

- (iv) an officer in the Department of the Government means the appointing authority;
- (v) a Chairperson or Director - Members of any body, or Board or Corporation or Authority including Local Self Government or Local Authority including Panchayti Raj Institutions and Urban Local Bodies or Company or Autonomous Body (by whatever name called) established or constituted under State Act or Society or Association of Persons or Trust or Non-Governmental Organizations (whether registered under any law for the time being in force or not) wholly or partly financed by the Government or in receipt of any sums under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 or any donation from the public or subsidized or being given grant by the State Government or in receipt of payment of more than the prescribed amount or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it means the Minister in Charge of the administrative department of such body, or Board or Corporation or Authority or Company or Society or Autonomous Body;
- (vi) an officer of any Body or Board or Corporation or Authority including Local Self Government or Local Authority including Panchayti Raj Institutions and Urban Local Bodies or Company or Society or Autonomous Body (by whatever name called) established or constituted under State Act or wholly and partly financed by the State Government or controlled by it means the Head of such body or Board or Corporation or Authority or Company or Society or Autonomous Body;
- (vii) any Director, Manager, Secretary or other officer / employees of every Society or Association of Persons or trust or Non-Governmental Organizations (whether registered under any law for the time being in force or not) wholly or partly financed by the Government or in receipt of any sums under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 or any donation from the public or subsidized or being given grant by the State Government or in receipt of payment of more than the prescribed amount, the head of the Society or Institution or Authority or the Head of the Association of the Person or the head of the Trust.

(e) "Full Bench" means the bench of the Lokayukta consisting of the Chairperson and all the existing members of the Lokayukta.

(f) "grievance" means a claim by a person that he sustained injustice or undue hardship in consequence of maladministration;

(g) "inquiry" means every inquiry conducted under this Act by the Lokayukta;

(h) "Judicial Member" means a Judicial Member of the Lokayukta appointed as such;

(i) "Lokayukta" means the institution established under section 3 of this Act;

(j) "Member" means a Member of the Lokayukta;

(k) "Minister" means a member of the Council of Ministers (by whatever name called) for the State and includes a State Minister, a Deputy Minister and Parliamentary Secretary;

(l) "notification" means notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(m) "Officer" means a person appointed to a public service or post in connection with the affairs of the State;

- (n) "public authority" means-
- (i) any establishment or body or institution of the State Government;
 - (ii) any Local Authority, the Local Self Government including Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies;
 - (iii) any Body/Board/Corporation/Authority/Company/Society/Autonomous Body (by whatever name called) established or constituted under an Act of State Legislature or wholly and partly financed by the State Govt. or controlled by it;
- (o) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (p) "Public Servant" means a person referred to in clause of Section 16(1);
- (q) "Regulations" means regulations made under this Act;
- (r) "Schedule" means a Schedule to this Act;
- (s) "Special Court" means a Special Court established under sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or Special Courts established under Bihar Special Courts Act, 2009.
- (t) "Whistleblower" means any person belonging to any public authority, who provides information about corruption in that public authority.
- (2) Words and expressions used and not defined in this Act shall have the meanings respectively which are assigned to them in the Prevention of Corruption Act, 1988.

CHAPTER II ESTABLISHMENT OF LOKAYUKTA

3. *Establishment of Lokayukta.*— (1) As from the commencement of this Act, there shall be established, for the purpose of making inquiries in respect of complaints made under this Act, an institution to be called the "Lokayukta".

- (2) The Lokayukta shall consist of—
- (a) a Chairperson; and
 - (b) two Members,

provided that out of "Chairperson and two Members" at least two persons shall be Judicial Members.

Provided further that the Lokayukta appointed prior to the commencement of this Act shall continue as the first Chairperson till the completion of his term.

(3) A person shall be eligible to be appointed,— (a) as the Chairperson or a Member if he is a person of impeccable integrity, outstanding ability and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in, public affairs, administrative law and policy, academics, law, finance or management and not less than fifty years of age.

(b) as a Judicial Member if he is or has been Chief Justice or a Judge of a High Court or qualified to be appointed as Judge of a High Court and not less than 50 years of age.

(4) The Chairperson or Member shall be a person who is / was *not* a member of the Parliament or a member of the Legislature of any State or Union territory and shall not hold any office of trust or profit (other than his office as the Chairperson or a Member) or not attached with any political party or carry on any business or practice any profession.

(5) The Chairperson and every Member shall, before entering upon his office, make and subscribe before the Governor an oath or affirmation in the form set out in the First Schedule.

4. *Appointment of Chairperson and other Members and Selection Committee.*— (1) The Chairperson and Members shall be appointed by the Governor after obtaining the recommendations of a Selection Committee consisting of—

- | | | | |
|-----|--|---|-----------|
| (a) | the Chairman, Bihar Legislative Council | – | Convener; |
| (b) | the Speaker, Bihar Legislative Assembly | – | Member; |
| (c) | two sitting Senior Judges of the Patna High Court to be nominated by the Chief Justice | – | Member; |
| (d) | Immediate surviving outgoing Lokayukta | – | Member; |

Provided that while considering selection of Members of the Lokayukta, the existing Chairperson shall also be the Member of the Selection Committee.

(2) No appointment of a Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Committee.

(3) The Selection Committee shall for the purposes of selecting the Chairperson and other Members of the Lokayukta and for preparing a panel of persons to be considered for appointment as such, constitute a Search Committee.

(4) The term of the search committee referred to in sub-section (3) and fee and another allowances payable to member of search committee shall be such as may be prescribed under rules.

(5) The selection committee shall regulate its own procedure for selection of the Chairperson and Members of the Lokayukta which shall be transparent.

(6) The search committee shall consist of five persons of impeccable integrity and eminence in public life. They will be selected from amongst the retired Chief Justices of India, the Retired Judges of Supreme Court, the Retired Chief Justices of High Courts, the Retired Judges of High Courts, the Retired Chief Election Commissioners of India, the retired Chief of Central / State Information Commissions, the retired Chairperson of Union Public Service Commission / Bihar Public Service Commission, the retired Cabinet Secretaries / Chief Secretaries / Secretaries to Govt. of India and the retired Comptroller and Auditor Generals of India with reputation of impeccable integrity, who have not joined any political party after retirement and who are not holding any office under any government.

Provided that at least two members of the Search Committee should be retired judges of the Supreme Court or retired Chief Justices or Judges of High Court.

(7) The Search Committee shall adopt the following procedure for preparation of panel of persons for the recommendations:-

- (a) The Search Committee shall invite nominations from individuals or organizations through website and at least two widely circulated newspapers.
- (b) The Search Committee shall also endeavour to collect information about the achievements and full details of background of such persons nominated by individuals or organizations.
- (c) The Search Committee shall invite suggestions and information from the public in respect of nominations so received by placing the same on Website and / or from any other sources as may be deemed fit and proper by the Search Committee.
- (d) The Search Committee after taking into consideration informations and suggestions so received with respect to nominations received, shall prepare a panel of persons which shall be three times the number of persons to be appointed.

Provided that if two members of the Search Committee have any objection in respect of any nomination that shall not be included in the panel prepared by the Search Committee.

Provided further that names of any such person / persons whose name has / have not been received pursuant to the invitation for nomination as provided under sub-section (7)(a) shall not be considered by the Search Committee.

- (e) The Search Committee before making recommendations of the panel of names for the post of Chairperson and / or Member or both shall obtain the consent of nominees for the appointment to the post against which his name is under consideration.

(f) The Search Committee shall complete the above procedure and send the shortlist within three months of initiation of procedure under sub-section (7)(a).

(8) The Selection Committee shall finalize the recommendations within a month of receiving recommendation from the Search Committee.

5. *Term of office of Chairperson and Members.*— The Chairperson and every other Member shall, on the recommendations of the Selection Committee, be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal and hold office as such for a term not exceeding five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that he may—

- (a) by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office;
- (b) be removed from his office in the manner provided in section 7.

6. *Salary, allowances and other conditions of service of the Chairperson and members.*— The salary, allowances and other conditions of service of the Chairperson shall be the same as those of the Chief Justice of Patna High Court and other Members shall be the same as those of a Judge of the High Court:

Provided that if the Chairperson or a Member is, at the time of his appointment, in receipt of pension (other than disability pension) in respect of any previous service as the Chief Justice or the Judge of the High Court, as the case may be or under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of service as the Chairperson or, as the case may be, as a Member, be reduced—

- (a) by the amount of that pension; and
- (b) if he has, before such appointment, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that the salary, allowances and pension payable to, and other conditions of service of, the Chairperson or a Member shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

7. *Removal of Chairperson and other Member of Lokayukta.*—(1) The Chairperson or Members may be removed from his office by the Governor on the ground of misbehaviour or incapacity and on no other ground.

Provided that inquiry required to be held before such removal shall be held by a sitting High Court Judge to be nominated by the Chief Justice of Patna High Court.

(2) A person appointed under the proviso to sub-section (1) shall submit the report within three months to the Governor who shall, as soon as may be, cause it to be laid before each House of the State Legislature.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section(1) the Governor shall not remove the Chairperson or Members except by an order passed after an address by each house of the State Legislature supported by a majority of the total membership of that House and majority of not less than two thirds of the Members of that House present and voting has been presented to the Governor in the same session for such removal.

(4) The State Legislature may regulate the procedure for presentation of an address and conclusion of the proceeding as mentioned in sub-section (3) above.

(5) Notwithstanding any other definition of misbehaviour in any other law in force for the time being, “Misbehaviour” amongst others means, If the Chairperson or any other Member is or becomes in any way associated or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the Government of a State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising there from otherwise than as a Member and in common with the other Members of an Corporate Company or has abused his position in any way so as to obtain any gain or favour to himself or to any other person to cause undue harm or hardship to any other person or was actuated in the discharge of the functions by any personal interest or for improper gain, corrupt practices.

(6) Notwithstanding any other definition of incapacity in any other law in force for time being, "Incapacity" amongst others means if the Chairperson or any other members is declared or adjudged an insolvent by a court of competent jurisdiction or is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

8. *Restriction on employment by Chairperson and Members after ceasing to hold office.*—

(1) On ceasing to hold office, the Chairperson and every other Member shall be ineligible for-

- (i) re-appointment as the Chairperson or a Member of the Lokayukta;
- (ii) further employment to any other office of profit under the Government of India or the Government of a State;
- (iii) Appointment to any such Society or Association of Persons or Trust (whether registered under any law for the time being in force or not) wholly or partly financed by the Government or in receipt of any sums under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 or any donation from the public, which is partially or wholly funded by the Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a Member shall be eligible to be appointed as a Chairperson, if his total tenure as Member and Chairperson does not exceed five years.

9. *Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances.*—(1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the Governor may, by notification, authorize the senior-most Member to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson to fill such vacancy.

(2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, the senior-most Member available, as the Governor may, by notification, authorize in this behalf, shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

10. *Secretary, other Officers and Staff of Lokayukta.*— (1) The Secretary to Lokayukta shall be appointed on the recommendation of the Lokayukta.

The Secretary shall be drawn from the Indian Administrative Service permanently allotted to the State Cadre, drawing pay in the super time scale of the service, or the State Superior Judicial Service in the super time scale, and shall receive the pay which he would have drawn but for his appointment as Secretary.

The Secretary shall hold office for a period as may be decided by the Government in consultation with the Chairperson.

(2) The other Gazetted Officers, the Ministerial Officers and the Group 'D' staff in the establishment shall be appointed by the Chairperson in accordance with the State Government's existing reservation policy and established procedure of such recruitment, including deputation and on the same terms and conditions as applicable to the same rank of employees of the State Government:

Provided that the Chairperson may, by general or special order, delegate to the Secretary the power to make appointment to a post or a class of posts in class of posts in Group 'C' or Group 'D' specified in such order.

(3) Subject to the provisions of any law made by State Legislature, the conditions of service of Secretary and other officers including officers of the Investigation Wing and staff of the Lokayukta shall be such as may be specified by regulations made by the Lokayukta for the purpose:

Provided that the regulations made shall, so far as they relate to creation of posts, salaries, allowances, leave or pensions and working conditions, require the approval of the State Government.

**CHAPTER III
INVESTIGATION WING**

11. *Investigation Wing.*— Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Lokayukta shall constitute in accordance with the State Government's existing reservation policy and established procedure of such recruitment, including deputation and on the same terms and conditions as applicable to the same rank of employees of the State Government for the purpose of conducting investigation of any offence alleged to have been committed by a public servant punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988:

Provided that till such time the Investigation Wing is constituted by the Lokayukta, the State Government shall make available such number of Investigation Officers and other staff from such of its Departments, as may be required by the Lokayukta, for carrying out investigation under this Act.

12. *Investigation officer to have powers of police.*— (1) No investigation shall be made by an Investigation Officer of the Investigation Wing below the rank of a Deputy Superintendent of Police or by any other officer of equivalent rank.

(2) The Investigation Officers of the Investigation Wing shall have in relation to the investigation of such offences, all the powers, duties, privileges and liabilities which police officers have in connection with the investigation of such offences.

13. *Investigation officer to inquire on direction of Lokayukta.*— (1) The Lokayukta may, before holding any inquiry under this Act, by an order, require the Investigation Officer of its Investigation Wing to make, or cause to be made, a preliminary investigation in such manner as it may direct and submit a report to the Lokayukta, within such time as may be specified by the Lokayukta, to enable it to satisfy itself as to whether or not the matter requires to be inquired into by the Lokayukta.

(2) The Investigation Officer on receipt of an order under sub-section (1) shall complete the investigation and submit his report within the time specified under that sub-section.

**CHAPTER IV
PROSECUTION WING**

14. *Appointment of Prosecution Director.*— (1) The Lokayukta may, by notification, constitute a prosecution wing and appoint a Prosecution Director and such other officers and employees in accordance with the State Government's existing reservation policy and established procedure of such recruitment, including deputation and on the same terms and conditions as applicable to the same rank of employees of the State Government to assist the Prosecution Director for the purpose of prosecution of public servants in relation to any complaint by the Lokayukta under this Act.

(2) The Prosecution Director shall, after having been so directed by the Lokayukta, after due inquiry file a complaint before the Special Court, and take all necessary steps in respect of the prosecution of public servants in relation to any offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 and Bihar Special Courts Act, 2009.

**CHAPTER V
EXPENSES OF INSTITUTION OF LOKAYUKTA TO BE CHARGED ON
CONSOLIDATED FUND OF STATE**

15. *Expenses of Lokayukta to be charged on Consolidated Fund of State.*— The expenses of the Lokayukta, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the Chairperson, Members or Secretary or other officers or staff of the Lokayukta, shall be charged on the Consolidated Fund of the State and any fees or other moneys taken by the Lokayukta shall form part of that Fund.

CHAPTER VI
JURISDICTION IN RESPECT OF INQUIRY

16. *Jurisdiction of Lokayukta.*— (1) Subject to other provisions of this Act, Lokayukta shall inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with any allegation or grievance against any public servant made in the complaint in respect of the following, namely:

- (a) any person who is or has been a Chief Minister of the State,
- (b) any person who is or has been a Minister of the State,
- (c) any person who is or has been a Member of either house of the State Legislature,
- (d) every officer referred to in clause (m) of Section 2,
- (e) every officer referred to in clause (m) of section 2 who on deputation or on transfer to foreign service is in the service or pay of -

- (i) any Local Authority , Local Self Government including the Panchayati Raj Institutions and the Urban Local Bodies;
- (ii) any Corporation (not being the local authority) established by or under the State Act and owned or controlled by the State Government;
- (iii) any Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (Act I of 1956) in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the State Government of any Company which is a subsidiary of a company capital is held by the State Government;
- (iv) any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act 21 of 1860) which is subject to the control of the State Government and which is notified by the State Government in this behalf in the Official Gazette;

(f) every Head or his Deputy by whatever designation he may be known and other employees of Local Authority, the Local Self Government including the Panchayati Raj Institutions and the Urban Local Bodies, the Corporation, the Government company or a Society or Association of Persons or Trust or Non-Governmental Organizations (whether registered under any law for the time being in force or not) having received a donation of more than Rs. five lakhs from any other source including foreign sources.

or any other institution or organization or authority, subsidized or being given grant by the State Government or receiving payment of more than the prescribed amount from the Government.

(g) any Chairperson or Member or Officer {referred to in clause (e) of sub-section (1)} or equivalent / above in any body / Board / Corporation / Authority / Company / Society / Autonomous Body (by whatever name called) established or constituted under an Act of State Legislature or wholly and partly financed by the State Government or controlled by it,

Provided that no investigation or prosecution shall be initiated without obtaining permission from a full bench of Lokayukta against; persons named in clause (a), (b) & (C) of sub-section(1) of Section 16 of the Act.

(2) The Lokayukta may inquire into any act or conduct of any person other than those referred to in sub-section(1) of section 16, if such person is associated with the allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988.

17. *Matters pending before any Court or Committee or authority before inquiry before Lokayukta.*—In case any matter or proceeding related to allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 has been pending before any Court or Committee of either house of State Legislature or before any authority prior to commencement of this Act or prior to commencement of any inquiry, after the commencement of this Act, such matter or proceeding shall be continued before such Court/Committee of either house of State Legislature/any other authority except for such matters as are protected under clause 2 of Article 194 of the Constitution of India or are pending before a Court, shall not affect the power of Lokayukta to inquire into such matter under this Act.

18. *Constitution of benches of Lokayukta.*— (1) Subject to the provisions of this Act-

- (a) The jurisdiction, powers and authority of the Lokayukta may be exercised by Benches thereof,

- (b) a Bench shall be constituted by the Chairperson with one or more Members as the Chairperson may deem fit,
- (c) every Bench shall ordinarily consist of at least one Judicial Member,
- (d) Where a Bench consists of Chairperson, such bench shall be presided over by the Chairperson,
- (e) Where a Bench consists of a Judicial and a non Judicial Member not being the Chairperson, such Bench shall be presided over by the Judicial Member,
- (f) The Benches of the Lokayukta shall ordinarily sit at Patna and at such other places as the Lokayukta may, by regulation specify.

(2) The Lokayukta shall notify the areas in relation to which each Bench of Lokayukta may exercise jurisdiction,

(3) Notwithstanding anything in sub section (2), the Chairperson shall have the power to constitute and reconstitute the benches from time to time.

(4) If at any stage of the hearing of a case or a matter, it appears to the Chairperson or a Member, that the case or matter is of such nature that it ought to be heard by a full bench, the case or the matter may be transferred by the Chairperson, or as the case may be, referred to him for transfer, to full bench as the Chairperson may deem fit.

(5) Chairperson may for the purpose of securing that any case or cases which, having regard to the nature of questions involving, requires or require, in his opinion to be decided by a Bench comprised of more than two members under rules framed by the State Government in this regard issue such a general or special order as he may deem fit.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, it shall be competent for the chairperson or any other Member authorised by the chairperson in this behalf to function as a Bench consisting of a single Member and exercise the jurisdiction, power and authority of the Lokayukta in respect of such classes of cases or such matters pertaining to such classes of cases as the Chairperson may by general or special order specify.

Provided that if at any stage of the hearing of any such case or matter it appears to the Chairperson or such Member that the case or matter is of such a nature than it ought to be heard by a Bench consisting of two members the case or matter may be transferred by the Chairperson or, as the case may be, referred to him for transfer to, such Bench as the chairperson may deem fit.

19. *Distribution of business amongst Benches.*— Where the benches are constituted, the Chairperson may, from time to time, by notification, make provisions as to distribution of the business of the Lokayukta amongst the benches and also provide for the matter which may be dealt with by each bench.

20. *Power of chairperson to transfer cases.*— On an application for transfer made by the complainant or the public servant, the Chairperson, after giving an opportunity of being heard to the complainant or the public servant, as the case may be, may transfer any case pending before any bench for disposal to any other bench.

21. *Decision to be by majority.*— When in any matter heard by a Bench of two members, a difference of opinion arises between them on a point or points either member desire that the matter be referred it shall be referred to and heard by full Bench.

Explanation:— In case the post of one member is vacant, the view of the Chairperson shall prevail.

22. *Validation of act or proceeding.*— No act or proceeding of the Lokayukta shall be invalid merely by reason of-

- (a) any vacancy in, or any defect in constitution of Lokayukta.
- (b) any defect in the appointment of the person acting as member of Lokayukta or
- (c) any irregularity not affecting the merits of the case.

CHAPTER VII

PROCEDURE IN RESPECT OF INQUIRY AND INVESTIGATION

23. *Provision relating to inquiry and investigation.*— (1) The Lokayukta, on receipt of a complaint, may cause preliminary inquiry or investigation to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter.

(2) Every preliminary inquiry or preliminary investigation referred to in sub section (1) shall ordinarily be completed within a period of thirty days and for reasons to be recorded to writing, within a period of three months from the date of receipt of complaint.

(3) Upon completion of the preliminary investigation, the investigating authority shall submit its report to the Chairperson.

24. *Persons likely to be prejudicially affected to be heard.*— If, at any stage of proceeding, the Lokayukta-

(a) considers it necessary to inquire into the conduct of any person other than the prospective accused; or

(b) is of opinion that the reputation of any person other than a accused is likely to be prejudicially affected by the inquiry,

The Lokayukta shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the inquiry and to produce evidence in his defence, consistent with the principle of natural justice.

25. *Lokayukta may require any public servant and any other person to furnish information etc.*—(1) Subject to the provisions of this section for the purpose of any investigation (including the preliminary inquiry, if any, before such investigation) under this Act, the Lokayukta may require any public servant or any other person who in his opinion is able to furnish information or produce documents relevant to the investigation, to furnish any such information, or produce any such documents.

(2) For the purpose of any such investigation (including the preliminary inquiry), the Lokayukta shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908), in respect of the following matters namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) such other matters as may be prescribed.

(3) Any proceeding before the Lokayukta shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code (Act no. 45 of 1860).

(4) No person shall be compelled for the purpose of investigation under this Act to give any evidence or produce any document which he could not be compelled to give or produce in proceeding before Court.

26. *Procedure for sanction of prosecution.*— (1) Notwithstanding anything contained in this section so far sanction under section 197 code of Criminal Procedure and section 19 of Prevention of Corruption Act is concerned, the competent authority shall pass an appropriate order on the recommendation of Lokayukta within forty days from the receipt of recommendation for sanction or permission.

Provided in case of sanction under 19 of Prevention of Corruption Act, 1988 for any public servant who is not removable from his office save by or with sanction of the Central Government, the State Government shall send its recommendation to the Central Government within fifteen days.

(2) The provisions contained in sub-sections(1) shall be without prejudice to the generality of the provisions contained in article 311 and sub-clause (c) of clause (3) of article 320 of the Constitution.

27. *Action on inquiry in relation to Public Servants not being Chief Minister or Ministers or Members of the State Legislature.*— (1) Where after the conclusion of the inquiry

or investigation, the findings of the Lokayukta disclose the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 by a public servant referred to in clause (d), (e), (f) or (g) of sub-section (1) of section 16, any officer authorized by Lokayukta shall-

- (a) file a case in the Special Court and send a copy of the report together with its findings to the competent authority; and
- (b) recommend to the competent authority for initiation of disciplinary proceedings under the rules of disciplinary proceedings applicable to such public servant;
- (c) provide a copy of the report to the public servant or his representative;

(2) The competent authority shall, having regard to the recommendations of the Lokayukta within a period of thirty days of the receipt of recommendation under clause (b) of sub-section (1), initiate disciplinary proceedings against the delinquent public servant accused of committing offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 and forward its comments on the report, including the action taken or proposed to be taken thereon, to the Chairperson ordinarily within six months of initiation of such disciplinary proceedings.

28. *Action on inquiry against Public Servants being Chief Minister or Ministers or members of the State Legislature.*— (1) Where the matter relates to public servant refers in clause (a), (b) & (c) of sub-section (1) of section 16 of this act the Lokayukta finding a prima facie case after following the procedure laid down in section 16(1) proviso, direct for inquiry or investigation.

(2) Where after the conclusion of the inquiry or investigation, the findings of the Lokayukta disclose the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 by a public servant referred to in clause (a), (b) & (c) of sub-section (1) of section 16, the Lokayukta may file a case in the Special Court and shall send a copy of the report together with its findings to the competent authority and also to the public servant.

CHAPTER VIII POWERS OF LOKAYUKTA

29. *Provisions relating to complaints.*—(1) The Lokayukta on receipt of a complaint or suo moto may initiate an appropriate action.

For the purpose of this section "Complaint" means an allegation, grievance or request by whistleblower for protection.

(2) every complaint under this act shall be made, as far as possible, in the forms prescribed and shall contain the following particulars:-

- (a) Every complaint shall bear the heading title "before the Lokayukta of Bihar."
- (b) Name or names of the complainant with their full addresses.
- (c) Name or names of persons complained against with full address (es)

(3) All complaints made before the Lokayukta shall be duly signed by the complaint or, if he is illiterate, shall bear his left thumb impression duly attested by a literate person, clearly disclosing the name and full address of the attesting persons.

(4) Every complaint shall be supported by an affidavit as prescribed.

(5) The Lokayukta shall not investigate any complaint -

- (a) involving a grievance, if the complaint is made after the expiry of twelve months from the date on which the action complained against becomes known to the complaint;
- (b) involving an allegation, if the complaint is made after the expiry of five years from the date on which the action complained against is alleged to have taken place:

Provided that the Lokayukta may entertain a complaint referred to in clause (a) if the complainant satisfies him that he had sufficient cause for not making complaint within the period specified in that clause.

(6) Notwithstanding anything contained in any other enactment, any letter written to the Lokayukta by a person, in Police custody or in a jail or in any asylum or other place for insane person, shall be forwarded to the addressee un-opened and without delay by the Police Officer or other person in charge of such jail, asylum or other place and the Lokayukta may, if satisfied

that it is necessary to do so treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2).

30. *Investigation.*— (1) Investigating Officers of Lokayukta authorized to investigate offences under the Prevention of Corruption Act, 1988 shall have all the powers which are vested in a police officer while investigating offences under the Code of Criminal Procedure.

(2) All Investigating Officers of Lokayukta superior in rank to an Investigating Officer may exercise the same powers as may be exercised by Investigating Officer.

31. *Search and seizure.*— (1) Where in consequence of information in his possession, the Lokayukta or the Officer authorized by it-

(a) has reason to believe that any person to whom a summon or notice under this Act, has, been or might be issued will not or would not produce or cause to be produced any property, document or thing which will be necessary or useful for or relevant to any enquiry or other proceeding to be conducted by him may issue a search warrant, and authorize any officer not below the rank of Inspector of Police to conduct a search or carry out an inspection in accordance therewith and in particular to, enter and search any building or place where he has reason to suspect that such property, or document, is kept.

(2) A warrant issued under sub-section(1) shall for all purposes, be deemed to be warrant issued by a Court under section 93 of Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) If the Lokayukta is satisfied that any document seized under sub-section(1) would be evidence for the purpose of investigation or enquiry under this act and it would be necessary to retain the documents in its custody or in custody of search officers as may be authorized it may so return or direct such officer authorized to retain such document till the completion of such investigation or enquiry.

Provided that where any document is required to be returned the Lokayukta or the authorized officer may return the same after retaining copies of such document duly authenticated.

(4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to searches shall, so far as may be, apply to searches under this section.

32. *Governance of Investigations.*— All the investigations under The Bihar Lokayukta Act, 2011 shall be governed by Chapter IV of the Prevention of Corruption Act, 1988.

Explanation: Notwithstanding the provision of the Act, the provisions of the Chapter XII of the Criminal Procedure Code 1973 relating to investigations, which is not inconsistent with this Act shall also apply.

33. *Provisional attachment of assets.*— (1) Where the Lokayukta or any Investigation Officer authorized by it in this behalf, has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing, on the basis of material in his possession, that-

- (a) any person is in possession of any proceeds of corruption;
- (b) such person is accused of having committed an offence relating to corruption; and
- (c) such proceeds of offence are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceeding relating to confiscation of such proceeds of offence, he may, by order in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding ninety days from the date of the order, in the manner prescribed.

(2) The Lokayukta shall, immediately after attachment under sub-section (1) forward a copy of the order, along with the material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court, in a sealed envelope, in the manner as may be prescribed and such Court may extend the order of attachment and keep such material for such period as the Court may deem fit.

(3) Every order of attachment made under sub-section(1) shall cease to have effect after the expiry of the period specified in that sub-section or after the expiry of the period as directed by the Special Court under sub-section(2).

34. *Confirmation of attachment of assets.*— (1) The Lokayukta, when it provisionally attaches any property under sub-section (1) of section 33 shall, within a period of thirty days of

such attachment, direct its prosecution wing to file an application stating the facts of such attachment before the Special Court and make a prayer for confirmation of attachment of the property till completion of the proceedings against the public servant in the Special Court.

(2) The Special Court may, if it is of the opinion that the property provisionally attached had been acquired through corrupt means, make an order for confirmation of attachment of such property till the completion of the proceedings against the public servant in the Special Court.

(3) If the public servant is subsequently acquitted of the charges framed against him, the property, subject to the orders of the Special Court, shall be restored to the concerned public servant along with benefits from such property as might have accrued during the period of attachment.

35. *Power of Lokayukta to recommend transfer or suspension of Public Servant connected with allegation of corruption.*— (1) Where the Lokayukta, while making an inquiry into allegation of corruption, is prima facie satisfied, on the basis of evidence available, that-

the continuance of the public servant referred to in clause(d), (e), (f) & (g) of subsection(1) of section 16 in his post while conducting the inquiry is likely to affect such inquiry adversely;

then the Lokayukta may recommend the State Government for transfer or suspension of such public servant from the post held by him till such period as may be specified in the order.

(2) The State Government shall ordinarily accept the recommendation of the Lokayukta.

36. *Power of Lokayukta to give directions to prevent destruction of records during inquiry.*— The Lokayukta may, in discharge of its functions under this Act, issue appropriate direction to a public servant entrusted with the preparation or custody of any document or record-

- (a) to protect such document or record from destruction or damage; or
- (b) to prevent the public servant from altering or secreting such document or record; or
- (c) to prevent the public servant from transferring or alienating any assets allegedly acquired by him through corrupt means.

37. *Power to delegate.*— The Lokayukta may, by general or special order in writing, and subject to such condition and limitation as may be specified therein, direct that any administrative or financial power conferred on it may also be exercised or discharged by such of its Members or officers or employees as may be specified in the order.

38. *Other power and function.*—Lokayukta shall have also following functions and powers:-

- 1.(a) If the Lokayukta prima facie is satisfied on the basis of preliminary inquiry of investigation that a lease, license, permission, contract or agreement was obtained by corrupt means including misfeasance, misrepresentation, fraud and coercion, it shall recommend cancellation or modification of the lease, license, permission, contract or agreement and it may also recommend blacklisting of firm, company, contractor or any other person involved in act of corruption. The above said recommendations shall be complied by the public authority or be rejected by him within a month of receipt of recommendation.
- (b) If the Lokayukta in course of any investigation is satisfied that any preventive action is necessary in public interest to prevent the ongoing incident of corruption it may make recommendation to the public authority concerned either to stay the implementation /enforcement of any decision or take any such action as is recommended by the Lokayukta. The aforesaid recommendation shall be complied by public authority or be rejected by him within fifteen days of receipt of recommendation.

- (c) to monitor the investigation of offences under Prevention of Corruption Act, 1988 involving any act of corruption, for the cases initiated on behalf of the Lokayukta.
- (d) to initiate prosecution before a Special Court established under the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Bihar Special Courts Act, 2009, for the cases initiated on behalf of the Lokayukta.
- (e) to appoint prosecutors and Senior Counsels under Prevention of Corruption Act, 1988 or under the Bihar Special Court Act, 2009 or under this Act, for the cases initiated on behalf of Lokayukta.
- (f) to get the Investigating Officer trained in modern methods of scientific investigation.
- (g) to enquire modern equipments necessary for proper investigation.
- (h) to receive complaints against any officer or staff of Lokayukta.
- (i) to ensure the integrity of its functionaries and impose punishments of dismissal, removal and reduction in rank.

CHAPTER IX SPECIAL COURTS

39. *Special Courts to be notified by State Government.*—(1) The Lokayukta may recommend for establishment for more Special Courts for the cases arising out of Prevention of Corruption Act, 1988 or under Bihar Special Courts Act, 2009 or under this Act and the State Government shall consider the proposal for establishment of more courts.

(2) The Special Courts constituted under sub-section (1) shall ensure completion of each trial within a period of one year from the date of filing of the case in the Court.

Provided that in case the trial cannot be completed within a period of one year, the Special Court shall record reasons therefore and complete the trial within a further period of not more than three months or such further periods not exceeding three months each, for reasons to be recorded in writing, before the end of each such three months period but not exceeding a total period of two years.

40. *Letter of request to another State in certain cases.*— (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Code of Criminal Procedure, 1973 if, in the course of an inquiry or investigation into an offence or other proceedings under this Act, an application is made to a Special Court by the Investigation Officer of the Lokayukta that any evidence is required in connection with the inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in another State, and the Special Court, on being satisfied that such evidence required in connection with the inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act may issue a letter of request to a court or an authority in the another State competent to deal with such request to -

- (i) examining the facts and circumstances of the case;
- (ii) take such steps as the Special Court may specify in such letter of request; and
- (iii) forward all the evidence so taken or collected to the Special Court issuing such letters of request.

(2) The letter of request shall be transmitted in such manner as the State Government may prescribe in this behalf.

(3) Every statement recorded or document or thing received under sub-section(1) shall be deemed to be evidence collected during the course of the inquiry or investigation.

CHAPTER X Complaints Against Lokayukta and its officials

41. *Complaints against Chairperson and Members not to be inquired by Lokayukta.*—
(1) The Lokayukta shall not inquire into any complaint made against the Chairperson or any Member of the Lokayukta.

(2) Any complaint against the Chairperson or any member shall be made by an application by the party aggrieved to the Governor.

(3) (a) The Governor if is satisfied that a prima facie case appears to have been made out in the complaint, shall refer the complaint for inquiry under the provision of section 7 of the Act within a period of three months.

(b) The Governor, however, if, is not satisfied of prima facie case having been made out in the complaint shall pass an appropriate order within the period prescribed in clause (a) of sub section 3.

42. *Complaints against Officers of Lokayukta.*— (1) Every complaint of allegation of wrong doing made against any officers or employee or investigating agency under or associated with the Lokayukta for offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 shall be dealt with in accordance with the provisions of this section.

(2) The Lokayukta shall complete the inquiry into the complaint or allegation made within a period of sixty days from the date of its receipt.

(3) While making an inquiry into the complaint against any officers or employee of the Lokayukta or the agency engaged or associated with the Lokayukta, if it is prima facie satisfied on the basis of evidence available that-

(a) continuance of such officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated in the post while conducting the inquiry is likely to affect such inquiry adversely; or

(b) an officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated is likely to destroy or in any way tamper with the evidence or influence witnesses.

Then the Lokayukta may, by order, suspend such officer or employee of the Lokayukta or divest such agency engaged or associated with the Lokayukta of all powers and responsibilities here to before exercised by it.

(4) On the completion of the inquiry if the Lokayukta is satisfied that there is prima facie evidence of the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or of any wrong doing it shall within a period of forty days of the completion of such inquiry order to prosecute such officer or employee of the Lokayukta or such officer disciplinary proceedings against the official concerned-

Provided that no such order shall be passed without giving such officers or employee of the Lokayukta or person, agency engaged or associated, a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER XI

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

43. *Budget.*— The Lokayukta shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta and forward the same to the State Government for information.

44. *Grants by State Government.*—The State Government may, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, make to the Lokayukta fund or such sums of money as are required to be paid for the salaries and allowances payable to the Chairperson and other Members and the administrative expenses, including the salaries and allowances and pension payable to or of officers and other employees of the Lokayukta.

45. *Annual Statement of accounts.*— (1) The Lokayukta shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General of Bihar.

(2) The accounts of the Lokayukta shall be audited by the Accountant General of Bihar at such intervals as may be specified by him.

(3) The Accountant General of Bihar or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Lokayukta under this Act shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit, as the Accountant General of Bihar generally has, in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Lokayukta.

(4) The accounts of the Lokayukta, as certified by the Accountant General of Bihar or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before each House of the State Legislature.

(5) Appropriate Joint Committee of Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council may decide to do an annual appraisal of the functioning of Lokayukta. The Lokayukta shall submit a compliance report, mentioning detailed reasons where it does not accept the recommendations of the committee, to the Governor. It shall be placed on the table of the two Houses of the Bihar State Legislature.

CHAPTER XII OFFENCES AND PENALTIES

46. *Offences and Penalties.*— Notwithstanding anything in this Act, the provisions of the Indian Penal Code 1860 as well as the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Bihar Special Courts, 2009 shall apply so far as offences and penalties are concerned.

CHAPTER XIII ASSESSMENT OF LOSS AND RECOVERY THEREOF BY SPECIAL COURT

47. *Assessment of loss and recovery thereof by Special Court.*— If any public servant is convicted of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 by the Special Court, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it may make an assessment of loss, if any, caused to the public exchequer on account of the actions or decisions of such public servant not taken in good faith and for which he stands convicted, and may order recovery of such loss, if possible or quantifiable, from such public servant so convicted:

Provided that if the Special Court, for reasons to be recorded in writing, comes to the conclusion that the loss caused was pursuant to a conspiracy with the beneficiary or beneficiaries of actions or decisions of the public servant so convicted, then such loss may, if assessed and quantifiable under this section, may also be recovered from such beneficiary or beneficiaries proportionately.

CHAPTER XIV WHISTLE BLOWERS

48. *Whistleblowers.*—(1) Any public official or any member of the public in possession of or having knowledge / information of any public authority indulging in corrupt practices shall be encouraged to send the said knowledge / information in his possession in confidence to the Lokayukta and it shall be incumbent upon the Lokayukta, if satisfied to order an inquiry into such information or knowledge by himself or by his agency or order for investigation under provision of Prevention of Corruption Act, 1988.

(2). It shall be incumbent upon the Lokayukta to keep the identity of the whistleblower confidential, where the Whistleblower so desires and / or also provide full protection to whistle blower from any physical harm or any administrative harassment.

(3). Where protection in any form is to be given to the Whistleblower, the Lokayukta shall be competent to give appropriate direction to any security agency / agencies or any other authority or authorities as the Lokayukta may deem fit and proper. The above direction of the Lokayukta shall be binding on such agency / agencies or authority / authorities.

(4) (a) In any case the Lokayukta shall pass the order under this section expeditiously and within a month of receipt of complaint.

(b) The Lokayukta on satisfaction on physical victimization of Whistleblower threatened or anticipated shall be at liberty to take immediate appropriate action as may be deemed fit and proper.

(5) The investigations in complaints by Whistleblowers facing physical or professional victimization shall be disposed of expeditiously preferably within three months or receipt of the same.

CHAPTER XV MISCELLANEOUS

49. *Protection of action taken in good faith.*— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lokayukta or against any officer, employee, agency or any person, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done under this Act.

50. *Members, officers and employees of the Lokayukta to be public servants.*— The Chairperson, Members, officers and other employees of the Lokayukta shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

51. *Bar of Jurisdiction.*— No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Lokayukta is empowered by or under this act to determine.

52. *Act of have overriding effect.*—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

53. *Provision of this Act to be in addition of other laws.*— The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

54. *Furnishing of returns, etc., to State Government.*— (1) The Lokayukta shall prepare, once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the State Government.

(2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid by the State Government, as soon as may be after it is received, before each House of the State Legislature.

55. *Power to make rules.*— (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

- (a) fee and allowances may be payable to the members of the search committee.
- (b) the manner of provisional attachment under sub-section 1(c) of section 33.
- (c) the manner of sending the order of attachment along with the material to the Special Court under sub-section (2) of section 33 and 34;
- (d) the manner of transmitting the letter of request under sub-section (2) of section 40;
- (e) the form and the time for preparing in each financial year the budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta under section 43 ;

- (f) the form for maintaining the accounts and other relevant records and the form of annual statement of accounts under sub-section (1) of section 45 ;
- (g) the form and manner and the time for preparing the returns and statements along with particulars under sub-section (1) of section 45 ;
- (h) the form and the time for preparing an annual report giving a summary of its activities during the previous year under sub-section (1) of section 54;
- (i) any other matter which is to be or may be prescribed.

56. *Power of Lokayukta to make regulations.*— (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Lokayukta may, after approval of the State Government by notification in the Official Gazette, make regulations to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the conditions of service of the Secretary and other Officers and staff of the Lokayukta and the matters which in so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the State Government under sub-section (2) of section 10;
- (b) the place of sitting of benches of the Lokayukta under clause (f) of sub-section (1) of 18;
- (c) the manner and procedure of conducting an inquiry or investigation;
- (d) any other matter which is required to be or may be specified under this Act.

57. *Laying of rules and regulations.*— Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before both House of legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation, or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

58. *Power to remove difficulties.*— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of six months from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature.

59. *Repeal and savings.*— (1) The Bihar Lokayukta Act, 1973 and the amendments made in it from time to time is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the said Bihar Lokayukta Act, 1973 shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

THE FIRST SCHEDULE**[See Section 3(5)]**

I, having been appointed Chairperson / Member* of the Lokayukta do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will.

[*As the case may be]

By Order of the Governor of Bihar,
OM PRAKASH SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 802-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ 1934 (श10)
(सं0 पटना 219) पटना, शुक्रवार, 25 मई 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 मई 2012

सं० एल0जी0-1-03/2012/लेज: 325—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 मई 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 10, 2012]**बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012**

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) में संशोधन करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ । - (1) यह अधिनियम बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव में प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 22, 2011 की धारा 2 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा-2 की उप-धारा

(1) में निम्नलिखित एक नया खंड (झझ) खंड (झ) के बाद जोड़ा जाएगा :-

“(झझ) "कुप्रशासन" से अभिप्रेत है निम्नलिखित किसी मामले में प्रशासनिक कृत्यों के प्रयोग में की गयी या किये जाने से तात्पर्यित कार्रवाई;

(क) जहाँ कि ऐसी कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति, अयुक्तियुक्त, अन्यायपूर्ण, सताने वाली या अनुचित रूप में विभेदकारी हो, अथवा

(ख) जहाँ ऐसी कार्रवाई करने में उपेक्षा या असम्यक् विलम्ब हुआ हो, अथवा ऐसी कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति में असम्यक् विलम्ब अन्तर्वलित हो।”

3. बिहार अधिनियम 22, 2011 की धारा-28 के बाद एक नयी धारा-28क जोड़ा जाना । - उक्त अधिनियम की धारा-28 के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा-28क जोड़ी जाएगी:-

“**28क. लोकायुक्त की रिपोर्ट । -** (1) यदि, ऐसे किसी कार्रवाई के अन्वेषण के बाद, जिसके बारे में किसी शिकायत को अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया गया हो या किया जा सकता था, लोकायुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्रवाई से परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या उसे असम्यक् कठिनाई हुई है, तो लोकायुक्त, लिखित रूप में रिपोर्ट द्वारा, संबद्ध लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से यह अनुशंसा करेगा कि ऐसे अन्याय या असम्यक् कठिनाई का उपचार या प्रतितोष रिपोर्ट में यथा विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर, कर दिया जाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन अपने पास अग्रेषित रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर, रिपोर्ट के आधार पर की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई लोकायुक्त को संसूचित करेगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुशंसा या निष्कर्षों पर की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई से यदि लोकायुक्त का समाधान हो जाय तो वह संबद्ध परिवादी, लोक-सेवक और सक्षम पदाधिकारी को सूचना देते हुए, मामले को बन्द कर देगी किन्तु यदि उसका समाधान न हो और वह मामले को इस योग्य समझती हो तो वह मामले पर विशेष रिपोर्ट राज्यपाल को दे सकेगी और संबद्ध परिवादी को भी सूचित कर सकेगी।

(4) लोकायुक्त स्वविवेकानुसार अपने द्वारा बन्द किये गये या अन्यथा निपटाये गये ऐसे मामलों का सार जो सामान्य, लोक, शैक्षणिक या वृत्तिक हित में होना उसे प्रतीत हों, समय समय पर, उस रीति से और उन व्यक्तियों को उपलब्ध करेगी, जिन्हें वह समुचित समझे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

25 मई 2012

सं० एल०जी०-1-03/2012/लेज: 326—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई 2012 को अनुमत बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 10, 2012]

The Bihar Lokayukta (Amendment) Act, 2012**AN****ACT****to amend The Bihar Lokayukta Act, 2011 [Bihar Act 22, 2011]**

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Third year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title extent and commencement.*— (1) This Act may be called the Bihar Lokayukta (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Section 2 of Bihar Act 22, 2011.*— In the said Act, in sub-section (1) of Section-2 the following new clause(ii) shall be added after clause(i):-

"(ii) "maladministration" means action taken or purporting to have been taken in the exercise of administrative functions in any case—

(a) where such action or the administrative procedure or practice governing such action is unreasonable, unjust, oppressive or improperly discriminatory, or

(b) where there has been negligence or undue delay in taking such action or the administrative procedure or practice governing such action involves undue delay."

3. *Addition of a new Section 28A after Section 28 in the Bihar Act 22, 2011.*— In the said Act, the following new Section 28A shall be added after Section 28 :-

"28A. Reports of Lokayukta— (1) If, after investigation of any action in respect of which a complaint involving a grievance has been or can be or could have been made, the Lokayukta is satisfied that such action has resulted in injustice or undue hardship to the complainant or any other person, the Lokayukta shall, by a report in writing, recommend to the public servant and the competent authority concerned that such injustice or undue hardship shall be remedied or redressed in such manner and within such time as may be specified in the report.

(2) The competent authority shall examine the report forwarded to it under sub-section (1) and intimate within three months of the date of receipt of the report, to the Lokayukta, the action taken or proposed to be taken on the basis of the report.

(3) If the Lokayukta is satisfied with the action taken or proposed to be taken on its recommendations or findings referred to in sub-sections (1), it shall close the case under information to the complainant, the public servant and the competent authority concerned; but where it is not so satisfied and if it considers that the case so deserves, it may make a special report upon the case to the Governor and also inform the complainant concerned.

(4) The Lokayukta may, at his discretion, make available from time to time, the substance of cases closed or otherwise disposed of by him which may appear to him to be of general public, academic or professional interest in such manner and to such persons as he may deem appropriate.

By order of the Governor of Bihar,
Vinod Kumar Sinha,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 219-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>